भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5601
04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

समुद्र तटीय सुरक्षा में सुधार

5601. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत दस वर्षों के दौरान भारत की समुद्र तटीय सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने/प्रयास करने के कारण जब्त किए गए समुद्री जहाजों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश में, भारत की तटीय सुरक्षा में सुधार के लिए कितनी निधि आवंटित/उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने भारत की समुद्र तटीय सुरक्षा में बड़ी चूक की स्थिति में कोई तत्काल कार्य-योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विगत दस वर्षों के दौरान स्वैच्छिक बल/नागरिक सुरक्षा तंत्र के रूप में नागरिक सहभागिता के लिए कोई संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है और यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश में किए गए आयोजन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उनके लिए युद्ध तैयारियों हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) ने राष्ट्र की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

आईसीजी दैनिक आधार पर निगरानी हेतु 18-20 पोत, 30-35 जलयान एवं 10-12 विमानों की तैनाती करती हैं। आईसीजी परिसंपत्तियां तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं समुद्र पर नियम आधारित

व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुद्री कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करती हैं। निगरानी संबंधी प्रयास अपतटीय विकास क्षेत्र (ओडीए) एवं समुद्र से लगे हुए द्वीप समूहों (अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप) पर भी केंद्रित होते हैं। तटीय क्षेत्रों की निगरानी तटवर्ती निगरानी नेटवर्क (सीएसएन) और जांच रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन (आरओएस) एवं रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन (आरओएस) एवं रिमोट ऑपरेटिंग सेंटर्स (आरओसी) द्वारा की जाती है। विगत 10 वर्षों के दौरान, आईसीजी ने प्रतिरोध एवं कार्मिकों की पहचान स्थापित करने हेतु 3,00,296 बोर्डिंग ऑपरेशन, 153 तटीय सुरक्षा अभ्यास, 451 तटीय सुरक्षा ऑपरेशन, 458 सुरक्षा ड्रिलें एवं 3645 संयुक्त तटीय गश्त उड़ानों को निष्पादित किया।

(ख): विगत दस वर्षों में भारत की समुद्री सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली कुल 179 नौकाओं को जब्त किया गया एवं 1683 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये नौकाएं विभिन्न अवैध गतिविधियों जैसे अवैध शिकार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध आप्रवासन इत्यादि में संलिप्त थीं।

(ग): तटीय सुरक्षा (अखिल भारतीय) के लिए आईसीजी द्वारा पोतों एवं विमानों के अर्जन पर उपयोग की गई निधियां आंध्र प्रदेश सहित 12,201 करोड़ रुपए है। तटीय निगरानी नेटवर्क (सीएसएन) के लिए (अखिल भारतीय) आंध्र प्रदेश सहित उपयोग की गई निधियां 1583.8 करोड़ रुपए है।

(घ): तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू किया गया है। ये एसओपी विभिन्न हितधारक एजेंसियों की जवाबदेही, ऑपरेशनों का संचालन एवं विभिन्न तटीय सुरक्षा राज्यों के लिए कार्रवाई प्रबंधन को रेखांकित करती हैं।

(ङ): आईसीजी विचार-विमर्श समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा पर केंद्रित होती हैं। आईसीजी नियमित रूप से सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रमों (सीआईपी) का आयोजन करती है जिसमें मछुआरों के समुदाय शामिल होते हैं। विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी पहलुओं पर चर्चा की जाती है। समुद्र में किसी भी आपात स्थिति की सूचना प्रदान करने हेतु एक टोल फ्री नम्बर 1554 भी मुहैया कराया गया है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा तट पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना के लिए मछुवारा निगरानी समूहों का भी सृजन भी किया गया है। विगत दस वर्षों में, आंध्र प्रदेश में कुल 2514 सीआईपी संचालित किए गए हैं।

(च): आईसीजी कार्मिकों एवं समुद्री पुलिस कार्मिकों को तटीय सुरक्षा एवं उनकी निर्दिष्ट भूमिका एवं दायित्वों के निष्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

*****